

## केंद्रीय बजट 2019-20: एक मूल्यांकन\*

वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट का लक्ष्य यह था कि 2018-19 के उत्तरार्ध में जीडीपी की उल्लेखनीय हासो-मुख वृद्धि के चुनौतीपूर्ण परिवेश में वित्तीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच एक अभीष्ट संतुलन स्थापित किया जाए। भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए व्यय संबंधी प्राथमिकताओं और अर्थव्यवस्था में निवेश कार्यों को गति प्रदान करने के हालात में गैर-कर राजस्व और विनिवेश के माध्यम से उच्चतर संसाधन जुटाना बजट का उद्देश्य था जबकि वर्ष 2018-19 की भांति प्रत्यक्ष कर में भी वृद्धि अपेक्षित है। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के बारे में सूचना जारी कर राजकोषीय पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वृद्धि के लिए व्यय प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए जीएसटी संग्रह में अधिक वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

### परिचय

यह लेख 05 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करता है। 2018-19 की दूसरी छमाही में घरेलू जीडीपी विकास में मंदी के साथ वृद्धि की धीमी गति और फीकी व्यापारिक गतिविधियों की विशेषता वाले प्रतिकूल वैश्विक वातावरण की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बजट 2019-20 में वृद्धि को प्राथमिकता देना ठीक ही है जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद को मार्च 2020 के अंत तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक और फिर मार्च 2025 तक बढ़ाकर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तदनुसार, बजट में, मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स (अनुबंध 1) पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य व्यय प्रतिबद्धताओं के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित

\* समीर रंजन बेहरा, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में कौशिकी सिंह, सक्षम सूद, कीर्ति गुप्ता और नीरज कुमार ने तैयार किया। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और न कि उस संस्थान के जिससे वे संबंधित हैं। सामान्य अस्वीकरण लागू है। केंद्रीय बजट 2018-19 का पिछला लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल 2018 में प्रकाशित हुआ था।

करना है। आगे जाकर, माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में उच्च राजस्व उछाल अधिक सार्थक राजकोषीय समेकन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस पृष्ठभूमि के साथ, लेख के बाकी हिस्सों को सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के यात्रा पथ के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे के अनुमान पर चर्चा की गई है जबकि खंड III केंद्र सरकार के वित्त की प्राप्ति पक्ष की जांच करता है। खंड IV सरकारी खर्च से संबंधित है और खंड V सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की पद्धति पर प्रकाश डालता है। खंड VI में सरकार की बकाया देनदारियों पर विचार किया गया है और खंड VII केंद्र से राज्यों में संसाधन हस्तांतरण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VIII में निष्कर्षों को निरूपित किया गया है।

### II. बजटीय राजकोषीय घाटा राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है

संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) का ढांचा अनुक्रमित अंशांकन आधारित दो प्रकार के राजकोषीय नियमों अर्थात् राजकोषीय समर्थन और परिचालनगत नियम के इर्द-गिर्द संरचित है। राजकोषीय समर्थन राजकोषीय स्थायित्व सुनिश्चित करता है। सामान्य तौर पर, ऋण-से-जीडीपी अनुपात राजकोषीय समर्थन के रूप में कार्य करता है। राजकोषीय समर्थन से पूर्वानुमेय संबंध को देखते हुए परिचालनगत नियम को अंतिम लक्ष्य से (एयरौद एंड वू, 2015; आईएमएफ, 2018) अंशांकित किया गया है।

सरकार ने परिवर्तित एफआरबीएम के अंतर्गत निर्धारित यात्रा पथ के अनुसार राजकोषीय ऋजुता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है जो कि - 2020-21 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीएफडी-जीडीपी) से सकल वित्तीय घाटे का (परिचालन लक्ष्य के रूप में) अनुपात लक्ष्य 3.0 प्रतिशत और 2024-25 तक सामान्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए ऋण-जीडीपी की अधिकतम सीमा (राजकोषीय समर्थन के रूप में) क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 2018-19 (अंतिम खातों) में प्राप्त 3.4 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले केंद्रीय बजट 2019-20 में राजकोषीय घाटे को 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रखा गया है। इसलिए, यह 2018-19 (सारणी 1) की तुलना में मामूली समेकन दर्शाता है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान

सारणी 1: प्रमुख संकेतक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2017-18	2018-19			2019-20		2020-21	2021-22
	वास्तविक	बीई	आरई	पीए	बीई (अंतरिम)	बीई (अंतिम)	एमटीएफपी लक्ष्य	
	5 जुला 2019	1 फर 2018	5 जुला 2019	31 मई 2019	1 फर 2019	5 जुला 2019	5 जुला 2019	5 जुला 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राजकोषीय घाटा	3.5	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.0	3.0
2. राजस्व घाटा	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	1.9	1.7
3. प्राथमिक घाटा	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0
4. सकल कर राजस्व	11.2	11.9	11.8	10.9	12.1	11.7	11.6	11.6
5. गैर-कर राजस्व	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4
6. राजस्व व्यय	11.0	11.3	11.3	10.6	11.6	11.6	-	-
7. पूंजी व्यय	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	-	-


बीई: बजट अनुमान; आरई: संशोधित अनुमान; पीए: अनंतिम अनुमान; एमटीएफपी: मध्यावधि राजकोषीय नीति

**टिप्पणी** : किसी वर्ष के मामले में जीडीपी के नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करने के सिद्धान्त का अनुसरण करने के हिसाब से, 2018-19 के लिए उपयोग किया गया सांकेतिक जीडीपी वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम अनुमान के अनुरूप है, अर्थात् सीएसओ द्वारा 31 मई 2019 को ₹190 लाख करोड़ जारी किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए ₹211 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी का उपयोग किया गया, जो 5 जुलाई 2019 को संघ के वर्ष 2019-20 के बजट में जारी किया गया। उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सारणी में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए राजकोषीय संकेतक, कभी-कभी केंद्रीय बजट के दस्तावेज में सूचित संकेतकों से मामूली रूप से भिन्न हो सकते हैं।


**स्रोत**: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

प्राप्त राजकोषीय समेकन की प्रगति की तुलना में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2017-18 (चार्ट 1) के बाद से लगभग समान स्तर पर बना हुआ है तथापि, वास्तविक परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि है 2012-13 के बाद से बजट घाटे के आंकड़े कम हुए हैं।

2019-20 में बजटीय राजकोषीय समेकन का एक प्रमुख कारक उच्च गैर-कर राजस्व है, जो कि 2018-19 (पीए) में 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत हो गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरप्लस ट्रांसफर के बाद आगे भी इसमें वृद्धि तय है।<sup>1</sup>



<sup>1</sup> "भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश" (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान)।




जीएफडी के विन्यास विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व घाटा 2019-20 में बढ़ने का बजट है और यह 2016-17 के (चार्ट 2) 59 प्रतिशत के मुकाबले उधार लिए गए संसाधनों का 69 प्रतिशत खाली कर देगा।

### III. प्राप्ति

अवसंरचना और अन्य निवेश को प्रोत्साहन की आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय बजट 2019-20 में गैर-कर राजस्व और विनिवेश के माध्यम से उच्चतर संसाधनों को

जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि बड़े कारक के रूप में प्रत्यक्ष करों का योगदान बना रहेगा। इसको सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की ओर से अधिक संग्रह द्वारा सहयोग मिलने की अपेक्षा है। इसके अलावा, उपकरणों और अधिभारों से प्राप्त आगम, जो साझा करों के विभाज्य समूह का भाग नहीं हैं, के लिए बजट किया गया है कि वे केंद्र द्वारा 2000-01 में वसूल किए गए सकल कर राजस्व के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 15 प्रतिशत हो जाएंगे (चार्ट 3)।



### कर राजस्व और कर संग्रह में उछाल

कर संग्रह में उछाल स्व-स्थिरता और विवेकाधीन नीति परिवर्तनों, जो दोनों के प्रभावों को दर्शाता है, राजकोषीय गुजांश के साथ-साथ राजकोषीय समेकन का एक प्रमुख निर्धारक है। 2018-19 में 1.64 की बजटीय कर उछाल का अनुमान था। हालांकि, संशोधित अनुमानों के अनुसार यह घटकर 1.53 रहा, जबकि प्रोविजनल अकाउंट्स (पीए) ने वास्तविक कर उछाल 0.75 रहने का संकेत दिया है जो बजट अनुमान से बहुत कम है। जीएसटी संग्रह में आई कमी से इसे पूरी तरह समझा जा सकता है<sup>2</sup> 2019-20 के लिए 1.67 की बजटीय कर उछाल न केवल दीर्घावधि औसत (1.02) से अधिक है, बल्कि 2018-19 (पीए) की वास्तविक उछाल के दोगुने से भी अधिक है। (चार्ट 4)


प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर, 2018-19 में 1.17 की वास्तविक उछाल (पीए) की तुलना में 2019-20 में व्यक्तिगत आय कर 1.86 की उच्चतर उछाल का बजटीय अनुमान किया गया। 2019-20 के लिए, कॉर्पोरेट कर उछाल 1.40 का बजट अनुमान किया गया, जो 2018-19 की वास्तविक उछाल (पीए) की तुलना में कम है, फिर भी यह दीर्घावधि औसत से अधिक रहा। अप्रत्यक्ष करों में, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की उछाल

क्रमशः 2.9 और 2.7 का बजटीय अनुमान किया गया था, जो उनके दीर्घावधि औसतों से काफी अधिक है। अंतरिम बजट के सापेक्ष जीएसटी संग्रह नीचे रहने के साथ जीएसटी की बजटीय उछाल अब अधिक यथार्थवादी लग रही है।

### प्रत्यक्ष कर


वर्ष 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 6.3 प्रतिशत रहने का बजट-अनुमान है, कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी का लाभ अधिक कंपनियों तक पहुंचाने के प्रस्तावित विस्तार के बावजूद 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 के लिए जीडीपी के 6.0 प्रतिशत (पीए) के वास्तविक अंक से उच्चतर रहने का अनुमान है<sup>3</sup> अन्य देशों के साथ कॉर्पोरेट कर का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत में मौजूदा कॉर्पोरेट टैक्स अन्य देशों की तुलना में पहले अपेक्षाकृत कम था लेकिन इस दशक के दौरान यह बढ़ा है। (चार्ट 5)

प्रत्यक्ष कर संग्रह विशेष रूप से चालू दशक के दौरान बेहतर रहा है और परिणामस्वरूप जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी 2000-01 के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.0 प्रतिशत (पीए) हो गई है। 2018-19 के 13.5 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजटीय अनुमान है। (पीए) (सारणी 2)



<sup>2</sup> यदि बजटीय संख्या के सापेक्ष जीएसटी संग्रह में कमी को प्रोविजनल अकाउंट डेटा में वापस जोड़ दिया जाता है, तो उछाल का आंकड़ा 2018-19 के संशोधित अनुमान फॉर्म से बिल्कुल मेल खाता है।

<sup>3</sup> बजट में कॉर्पोरेशन कर की कम दर (25 प्रतिशत) का लाभ उन कंपनियों तक बढ़ाया है जिनका वार्षिक कारोबार रु. 400 करोड़ तक है, पहले यह रु. 250 करोड़ तक वार्षिक कारोबार वाले कंपनियों तक लागू था।



प्रत्यक्ष कर का उच्चतर बजटीय अनुमान मुख्य रूप से आयकर संग्रह के उच्चतर बजटीय अनुमान को दर्शाता है जो विशेष रूप से रिटर्न दाखिल करने में सरलीकरण, पैन और आधार के अंतर-विनिमेयता, पूर्व-दर्ज आयकर रिटर्न और चेहेराविहीन ई-आकलन के अलावा अधिभारों में प्रस्तावित वृद्धि के प्रभाव, हालांकि अधिभार प्रस्तावों

में से एक का हाल में उलटफेर किया गया है, आदि उपायों के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ है। केंद्रीय बजट में किराया आवास, स्टार्ट-अप, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और इंटरनेशनल फिनैशियल सर्विसेज सेंटर्स (आईएफएससी) जैसे क्षेत्रों के लिए कर राहत के उपाय किए गए हैं।

**सारणी 2: केंद्र सरकार का कर राजस्व**

	रु. हजार करोड़ में				वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2017-18	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	
	5 जुला 2019	5 जुला 2019	31 मई 2019	5 जुला 2019	कॉलम 3 ओवर कॉलम 2	कॉलम 4 ओवर कॉलम 2	कॉलम 5 ओवर कॉलम 3	कॉलम 5 ओवर कॉलम 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. प्रत्यक्ष कर</b>	<b>1,002</b>	<b>1,200</b>	<b>1,137</b>	<b>1,335</b>	19.8	13.5	11.3	17.4
जिनमें से :								
i. आय कर	408	518	462	556	26.9	13.1	7.4	20.5
ii. कॉर्पोरेशन कर	571	671	664	766	17.5	16.2	14.2	15.4
<b>2. अप्रत्यक्ष कर</b>	<b>917</b>	<b>1,048</b>	<b>943</b>	<b>1,126</b>	14.3	2.9	7.4	19.4
जिनमें से :								
i. जीएसटी	443	644	582	663	45.5	31.4	3.0	14.1
सीजीएसटी	203	504	458	526	147.9	125.1	4.4	15.0
आईजीएसटी	177	50	29	28	-71.7	-83.6	-44.0	-3.3
मुआवजा कर	63	90	95	109	43.7	51.9	21.5	15.0
ii. सीमा शुल्क	129	130	118	156	0.8	-8.6	19.9	32.2
iii. उत्पाद शुल्क	259	260	231	300	0.1	-11.0	15.6	29.9
<b>3. सकल कर राजस्व (1+2)</b>	<b>1,919</b>	<b>2,248</b>	<b>2,080</b>	<b>2,461</b>	17.2	8.4	9.5	18.3

**टिप्पणी :** कुछ वृद्धि दर की गणना संबंधित सारणियों के आंकड़ों से तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती है क्योंकि गणना केंद्रीय बजट दस्तावेजों से लिए गए सटीक आंकड़े पर आधारित हैं।

**स्रोत :** केंद्रीय बजट दस्तावेज।

### अप्रत्यक्ष कर


वर्ष 2019-20 के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 19.4 प्रतिशत तक बढ़ने का (पीए) बजट में अनुमान लगाया गया है। पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक पर एक रुपये प्रति लीटर के विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा बुनियादी संरचना सेस में वृद्धि के साथ सोने और अन्य कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने जैसे उपायों के कारण उत्पाद और सीमा शुल्क के तहत उच्चतर संग्रह का बजट में अनुमान लगाया गया है। हालांकि, यह बजट-अनुमान से कम रहा। वर्ष के दौरान लगभग सभी सेक्टरों और वस्तुओं पर जीएसटी दरों की शुरुआती समस्याओं और रेशनालाइजेशन के बावजूद 2017-18 की तुलना में 2018-19 में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी जीएसटी दर कम हुई। इसे ध्यान में रखकर जीएसटी संग्रह रु. 663 हजार करोड़ का बजट अनुमान किया गया, जो 01 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में घोषित रु. 761 हजार करोड़ से कम है। 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी संग्रह के साथ 2016-17 के एक जैसे बकेट के करों पर हुए संग्रह की तुलना करने पर पता चलता है कि कुल राजस्व और गैर-कर्ज पूंजी प्राप्ति के प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी संग्रह की हिस्सेदारी में मामूली

सुधार हुआ है, जबकि प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में अधिकतम सुधार (चार्ट 6 ए) देखा गया है। बहरहाल, हाल के महीनों में हुए माह-वार जीएसटी संग्रह सांकेतिक जीडीपी वृद्धि (चार्ट 6 बी) में मंदी के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, जीएसटी ढाँचा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होती है और आईटी संबंधित कठिनाइयों जैसे, सिस्टम डिजाइन की कमियों को ठीक करने के साथ-साथ एक इनवॉइस मैचिंग सिस्टम लगाने और जीएसटी प्रक्रिया में सरलीकरण का प्रस्ताव दिया गया है ताकि इस परिवर्तनकारी कर सुधार का पूरा लाभ उठाया जा सके। (सीएस.2019)

### कर से इतर राजस्व

अतीत की प्रवृत्ति से निकलकर अब कर से इतर राजस्व प्राप्ति ने राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने में, खासकर पिछले दो वर्षों के दौरान, मदद की हैं। इस प्रवृत्ति के चलते, 2019-20 में कर से इतर राजस्व से प्राप्ति का पिछले वर्ष की 27.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 27.2 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान किया गया। 2019-20 में आरबीआई / बैंकों / वित्तीय संस्थानों (एफआई) से अधिशेष हस्तांतरण (सारणी 3) में रु. 32 हजार करोड़ की वृद्धि के लिए बजटीय अनुमान है। यदि आरबीआई से अधिशेष हस्तांतरण और अधिक होता है, तो यह आगे बढ़ सकता है।<sup>4</sup>

चार्ट 6: जीएसटी संग्रहण के रुझान



<sup>4</sup> "भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट" (अध्यक्ष डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशें।

## सारणी 3: लाभांश और लाभ

	रु. हजार करोड़ में			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7
<b>लाभांश और लाभ</b>	<b>91</b>	<b>119</b>	<b>164</b>	<b>-25.7</b>	<b>30.5</b>	<b>37.1</b>
पीएसई से	46	45	57	-10.3	-3.0	27.4
आरबीआई/ बैंक/एफआई से	45	74	106	-37.0	65.3	43.0

पीएसई : सरकारी क्षेत्र के उद्यम; एफआई : वित्तीय संस्थाएं  
स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

## गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ


गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ भी हाल के वर्षों में राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। विनिवेश के लिए लक्ष्य, जिसे 2018-19 (बीई) में ₹80 हजार करोड़ नियत किया गया था, उसे 2018-19(पीए) में ₹5,045 करोड़ तक बढ़ाया गया है। इस विनिवेश अभियान को जारी रखते हुए, केंद्रीय बजट का उद्देश्य रणनीतिक बिक्री पर विशेष जोर देने के साथ विनिवेश से पर्याप्त मात्रा में संसाधन जुटाना है। नतीजतन, 2019-20 (बीई) के लिए विनिवेश का लक्ष्य ₹105 हजार करोड़ निर्धारित किया गया है।

## IV. व्यय पद्धति और प्राथमिकताएँ

विगत दशक में, विशेषकर 2015-16 से, मुख्य रूप से उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के नेतृत्व में, राज्यों पर खर्च करने के दबाव के कारण सामान्य सरकारी व्यय बढ़ते रहने के बावजूद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का व्यय घट रहा था। वर्ष 2019-20 के लिए, यदि बजटीय व्यय की उगाही की जाती है तो 13.2 प्रतिशत पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का कुल व्यय विगत दस वर्षों में पहली बार वृद्धि दर्ज करेगी। पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि के लिए राजस्व व्यय का बजट किया गया है जो सरकार की ग्रामीण केन्द्रित और कई केंद्रीय क्षेत्र / केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आबंटन को दर्शाता है (सारणी 4)।

प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष सामान्य सरकारी व्यय के अंतर्देशीय विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च आय वाले देशों में अपने जीडीपी के हिस्से के रूप में बड़े सरकारी व्यय होते हैं, और यह सामाजिक संरक्षण पर अधिक केंद्रित है (ऑर्टिज़-ऑस्पिना और रोज़र, 2019)<sup>5</sup>। अपने उभरते बाजार वाले समकक्ष देशों की तुलना में, भारत अपनी प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अपेक्षाकृत

चार्ट 7: विनिवेश प्राप्तियाँ : बजट निर्धारित की तुलना में प्राप्त



<sup>5</sup> यह सहसंबंध इस तथ्य के कारण हो सकता है कि उच्च आय वाले देशों में अपेक्षाकृत अधिक कुशल कर संग्रह प्रणाली है, जो उनकी कर संग्रह क्षमता (ऑर्टिज़-ऑस्पिना और रोज़र, 2019) को बढ़ाती है।

सारणी 4: केंद्र सरकार का व्यय


Item	रु. हजार करोड़ में				वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2017-18	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	
	5 जुला 2019	5 जुला 2019	31 मई 2019	5 जुला 2019	कॉलम 3 ओवर कॉलम 2	कॉलम 4 ओवर कॉलम 2	कॉलम 5 ओवर कॉलम 3	कॉलम 5 ओवर कॉलम 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल व्यय	2,142	2,457	2,311	2,786	14.7	7.9	13.4	20.5
2. राजस्व व्यय (जिनमें से)	1,879	2,141	2,009	2,448	13.9	6.9	14.3	21.9
(i) ब्याज का भुगतान	529	588	583	661	11.1	10.2	12.4	13.4
(ii) प्रमुख सब्सिडी	191	266	197	302	39.2	3.1	13.3	53.1
खाद्य	100	171	102	184	70.8	1.6	7.5	80.8
उर्वरक	67	70	71	80	5.4	6.2	14.1	13.3
पेट्रोलियम	25	25	25	38	1.5	0.4	50.9	52.6
(iii) एमजीएनआरईजीए	55	61	-	60	10.7	-	-1.8	-
(iv) पीएम-केआईएसएएन	-	20	-	75	-	-	275.0	-
(v) रक्षा (राजस्व)	186	191	196	202	2.8	5.3	5.5	3.0
3. पूंजी व्यय	263	317	303	339	20.3	15.1	6.9	11.8

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अधिक खर्च करता है, हालांकि यह अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है (चार्ट 8)। कुछ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में व्यय से जुड़े राजकोषीय नियम भी हैं, जिसमें व्यय - जीडीपी अनुपात की उच्चतम सीमा निर्धारित है जो जीडीपी का 30 से 40 प्रतिशत की सीमा में होता है (आईएमएफ, 2018)<sup>6</sup>।

केंद्र का कुल खर्च वर्ष 2018-19 (पीए) में दर्ज 7.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 20.5 प्रतिशत तक (₹27.9 लाख करोड़ तक) बढ़ने का बजट किया गया है। पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि के लिए, मुख्यतः पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए 26.8 प्रतिशत तक

चार्ट 8: सामान्य सरकार व्यय – अंतर-देशीय तुलना



<sup>6</sup> भारत के लिए कुल सरकारी खर्च समय के साथ स्थिर रहा है - यह 2018-19 में जीडीपी के 28.2 प्रतिशत पर रहा, जो कि औसत स्तर 1980-2018 (27.5 प्रतिशत) से अधिक है।

अधिक आवंटन के कारण, राजस्व व्यय का बजट किया गया है। ऐसा करने के दो प्रयोजन हैं – एक ओर ग्रामीण संकट को कम करना और दूसरी ओर ग्रामीण खपत मांग को बढ़ावा देना। इससे संबंधित उपायों में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शामिल है जिसके तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की दर से आय मदद का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों के लिए कर दिया गया है। देश में भौतिक और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), आयुष्मान भारत तथा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम) के लिए भी अधिक आवंटन किए गए हैं (सारणी 5)।

यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के खर्च करने के तरीके का झुकाव राजस्व व्यय की ओर अधिक है जो अधोमुखी कठोरता को दर्शाता है। पिछले पंद्रह वर्षों में से तेरह वर्षों में, राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 85 प्रतिशत से अधिक रहा है। 2019-20 में, राजस्व व्यय के हिस्से के प्रति कुल का 87.8 प्रतिशत बजट किया गया है। इससे पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की

संभावनाएँ सीमित रह जाती है जिसका निजी निवेश के अंतर्गमन से विकास(ग्रोथ) की बढ़ोत्तरी में राजस्व व्यय की तुलना में कई गुना अधिक प्रभाव पड़ने का अनुमान है (आरबीआई, 2019)। वर्ष 2018-19 (पीए) में उच्च पूंजीगत व्यय विकास(ग्रोथ) एवं राजस्व व्यय में कमी के कारण राजस्व – पूंजीगत व्यय अनुपात में कुछ सुधार हुआ (चार्ट 9)।

### सब्सिडी और ब्याज का भुगतान


सरकार के राजस्व व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा सब्सिडी और ब्याज के भुगतान के लिए होता है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 (पीए) में, यद्यपि प्रमुख सब्सिडी पर वास्तव में जितना व्यय किया गया वह बजट अनुमान से कम था लेकिन फिर भी वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष के अनुरूप उसका बजट अधिक रखा गया (सारणी 4)। सरकार का लक्ष्य बेहतर योजनाबद्ध तरीके से, दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारा मध्यम अवधि में सब्सिडियों पर इसके व्यय में कटौती करना है।

सारणी 5: सरकार की प्रमुख योजनाओं पर व्यय


मद	रु. हजार करोड़ में			कुल व्यय में प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए. केंद्र क्षेत्र की योजनाएं</b>							
1. पीएम-केआईएसएएन	–	20	75	0.81	2.69	–	275.0
2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन	–	0	0.5	0.00	0.02	–	–
3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	5	3.8	4.1	0.15	0.15	-24.8	7.0
4. उज्ज्वल योजना	2.3	3.2	2.7	0.13	0.10	42.1	-14.9
5. सड़क कार्य	36.8	40.9	45.9	1.66	1.65	11.0	12.2
6. सागरमाला	0.5	0.4	0.6	0.02	0.02	-20.5	44.3
7. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	0.7	1.6	1.2	0.07	0.04	124.0	-24.7
<b>बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>							
1. एमजीएनआरईजीए	55.2	61.1	60.0	2.49	2.15	10.7	-1.8
2. आयुष्मान भारत	–	2.4	6.4	0.10	0.23	–	166.7
3. पीएम कृषि सिंचाई योजना	6.6	8.3	9.7	0.34	0.35	24.8	17.3
4. पीएम ग्राम सड़क योजना	16.9	15.5	19.0	0.63	0.68	-8.1	22.6
5. पीएम आवास योजना	31.2	26.4	25.9	1.07	0.93	-15.3	-2.1
6. स्वच्छ भारत मिशन	19.4	17.0	12.6	0.69	0.45	-12.6	-25.5
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	32.0	31.2	33.7	1.27	1.21	-2.5	7.9
8. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	29.5	32.3	38.5	1.32	1.38	9.8	19.2

-: लागू नहीं।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।




खाद्य सब्सिडी पर किए गए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016-17 से पहले, खाद्य सब्सिडी पर वास्तविक व्यय बजटीय राशि से लगातार अधिक था। तथापि, 2016-17 से यह पद्धति उलटी हो गई है (चार्ट 10)। पिछले तीन वर्षों में बजटीय राशि की तुलना में खाद्य सब्सिडी पर यह न्यूनतम व्यय भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से बतौर मदद उधार को दर्शाता है (चार्ट 11)।



### पूंजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 (पीए) के दौरान 15.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष 2019-20 में 11.8 प्रतिशत तक और बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय का बजट किया गया। तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह जीडीपी का 1.6 प्रतिशत ही है। वर्ष 2019-20 (बीई) में रक्षा के लिए पूंजीगत व्यय का बजट 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ ₹103 हजार करोड़ तक किया गया है। प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, पूंजीगत व्यय में 2018-19 (आरई) में लगभग 23.9



## सारणी 6: पूंजी व्यय

	रु. हजार करोड़ में				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2016-17	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. कुल पूंजी व्यय</b>	<b>285</b>	<b>263</b>	<b>317</b>	<b>339</b>	<b>-7.5</b>	<b>20.3</b>	<b>6.9</b>
2. रक्षा	86	90	94	103	4.7	3.9	10.0
3. पूंजी व्यय (रक्षा को छोड़कर)	198	173	223	235	-12.9	28.9	5.6
(i) प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर सिंचाई	102	108	134	146	5.8	23.9	8.8
ऊर्जा	0.1	0.3	0.3	0.3	236.7	3.9	9.4
भारतीय रेल	7	5	9	7	-32.5	94.3	-25.4
सड़कें और पुल	45	43	53	66	-4.0	22.2	24.1
नागर विमानन	44	54	64	68	22.3	20.0	6.0
बंदरगाहों और लाइट हाउस	3	2	4	0.03	-32.2	117.8	-99.4
संचार	0.3	0.2	0.2	0.3	-45.8	4.1	42.6
(ii) उद्योग और खनीज	3	5	4	5	29.6	-19.8	37.3
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	6	5	5	6	-16.7	-4.9	28.1
(iv) अन्य	5	5	7	9	2.6	34.2	20.5
	84	54	76	74	-36.2	41.7	-2.9

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।


प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के सापेक्ष 2019-20(बीई) में रेल, जिसे बाजार उधार लेने और परिसंपत्ति मुद्रीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, के नेतृत्व में मामूली रूप से 8.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रों जिनमें वृद्धि देखी गई वे सड़क एवं पुल, संचार एवं सिंचाई हैं (सारणी 6)।

### अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)

केंद्रीय बजट (सकल बजटीय सहायता) से किए गए पूंजीगत खर्च के अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(सीपीएसयू) और वाणिज्यिक विभागीय उपक्रमों आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईबीआर) के रूप में प्रसिद्ध अपने स्रोतों से पूंजीगत व्यय की काफी राशि वहन करते हैं। जबकि आईबीआर के जरिए पूंजीगत खर्च की पूर्ववर्ती राशि वर्ष 2014-15 से सकल बजटीय सहायता से कम रही, अब यह प्रवृत्ति बदल गई है जहां सीपीएसयू द्वारा पूंजीगत खर्च उस राशि से अधिक हो गया है जिसका पूंजीगत व्यय में बजट अनुमान किया गया था। (चार्ट 12)

चार्ट 12: पूंजी खर्च – आईबीआर की तुलना में जीबीएस



इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समग्र पूंजी व्यय के संपूर्ण दृष्टिकोण में सीपीएसयू द्वारा विशेषकर ईबीआर के माध्यम से पूंजीगत खर्च शामिल होना चाहिए (बॉक्स 1)।

## V. जीएफडी वित्तपोषण – प्रमुख स्रोत

सकल बाजार उधार जो वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है, के लिए वर्ष 2019-20 में रु. 710 हजार करोड़ का बजट प्रावधान

किया गया है जो पिछले वर्ष के स्तर से 24.3 प्रतिशत अधिक है। तथापि, इस अवधि के दौरान निवल बाजार उधार जो रु.473 हजार करोड़ है, से 11.9 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल उधार वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) में जीएफडी के 66.6 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (बजट अनुमान) में जीएफडी का 67.2 प्रतिशत कवर करेगा (सारणी 7)।


### बॉक्स 1: भारत सरकार के पूर्ण भुगतान वाले बॉन्डों के जरिए जुटाए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)

पिछले तीन वर्षों में, कुछ सीपीएसयू ने भारत सरकार के पूर्ण भुगतान वाले बॉन्ड जारी करके बाजार से संसाधन जुटाए हैं जिसके लिए मूलधन और ब्याज दोनों की अदायगी बजट से की जानी है (चार्ट 1.1)। अंतरिम बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार, 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 से ईबीआर के बजट प्रावधान के लिए एक व्यवस्था परिचालित की गई है। मार्च 2019 के समाप्त होने तक, ईबीआर खाते पर कुल बकाया देयताएं जीडीपी की 0.5 प्रतिशत थीं और मार्च 2019 के समाप्त होने तक ये जीडीपी के 0.7 प्रतिशत होने का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य ईबीआर स्टॉक में अभिवृद्धि को पांच वर्षों के समय में शून्य तक करने का है।

कुछ सरकारी योजनाएं जिनके लिए अभी तक ईबीआर से प्राप्य-राशि का उपयोग किया गया है, उनमें प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) अन्य के बीच शामिल हैं। वर्ष 2016-


19 के दौरान ईबीआर के जरिए जुटाई गई निधियों के उपयोग की क्षेत्रकीय हिस्सेदारी दर्शाती है कि अधिकांश राशि विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं (32 प्रतिशत) के लिए जुटाई गई, इसके बाद ग्रामीण विकास परियोजनाएं (30 प्रतिशत), आवास (23 प्रतिशत), जल संसाधन (12 प्रतिशत), नवीकरणीय ऊर्जा (2 प्रतिशत) और शिपिंग (1 प्रतिशत) (चार्ट 1.2) की हिस्सेदारी रही। ईबीआर मार्ग के जरिए लिए गए उधार का संस्था-वार ब्यौरा दर्शाता है कि शीर्ष तीन उधारकर्ता जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जिसने ग्रामीण विकास और सिंचाई परियोजनाओं के लिए उधार लिया है, इसके बाद आवास परियोजनाओं के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) तथा विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने उधार लिया है। केंद्रीय बजट 2019-20 के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में ईबीआर पर सूचना जारी करने से भारत में उल्लेखनीय रूप से राजकोषीय पारदर्शिता में संवृद्धि हुई।

चार्ट 1.1: जीओआई-एफएसबी के जरिए जुटाए गए धन



स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज और ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1.2: जीओआई-एफएसबी के उपयोग का क्षेत्रवार हिस्सा



**सारणी 7: जीएफडी वित्तपोषण**

(रु. हजार करोड़ में राशि)

मद	2017-18 वास्तविक	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
1	2	3	4
<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	591 (100.0)	634 (100.0)	704 (100.0)
<i>द्वारा वित्तपोषित</i>			
निवल बाजार उधार	451 (76.3)	423 (66.6)	473 (67.2)
निवल खजाना बिल	45 (7.6)	25 (3.9)	25 (3.6)
एनएसएसएफ	103 (17.4)	125 (19.7)	130 (18.5)
बाह्य सहायता	8 (1.3)	-5 (-0.8)	-3 (-0.4)
राज्य भविष्य निधि	16 (2.7)	17 (2.7)	18 (2.6)
आरक्षित निधि	18 (3.1)	-15 (-2.3)	-0.9 (-0.1)
जमाएं एवं अग्रिम	25 (4.3)	16 (2.5)	14 (1.9)
नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी	4 (0.7)	41 (6.5)	51 (7.3)
अन्य	-79 (-13.3)	7 (1.1)	-3 (-0.5)

**टिप्पणी :** 1. निवल बाजार उधार में केवल दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए उधार शामिल हैं।  
2. निवल खजाना बिलों में 91-दिन, 182-दिन, 364-दिन एवं अन्य सभी खजाना बिलों के माध्यम से लिए गए उधार शामिल हैं।  
3. अन्य में प्रतिभूतियों की पुनः खरीद, प्रतिभूतियों की अदला-बदली, बचत बांड तथा राहत बांड इत्यादि शामिल हैं।  
4. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीएफडी में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

**स्रोत :** केंद्रीय बजट दस्तावेज।


केंद्रीय बजट में भी प्रतिभूतियों के स्विक (सकल) और पुनर्खरीद (बायबैक) के लिए ₹ 50 हजार करोड़ प्रति के लिए प्रावधान किया गया है। नकदी प्रबंध परिचालनों के लिए ₹ 1 लाख करोड़ के नकदी प्रबंध बिलों (सीएमबी) के सकल निर्गम के लिए भी प्रावधान किया गया है। तथापि, सीएमबी का कोई निवल निर्गम नहीं हुआ है तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत 2019-20 (बजट अनुमान) के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।

**VI. बकाया देयताएं**

राजकोषीय नियम का एक महत्वपूर्ण घटक-जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकारी बकाया दर्शाता है कि 68.4<sup>7</sup> प्रतिशत पर भारत का जीडीपी की तुलना में कर्ज अनुपात वर्ष 2017-18 में कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से उच्चतर था (चार्ट 13)। तथापि, भारत का सार्वजनिक कर्ज मुख्य रूप से रुपया में मूल्यवर्गांकित है

<sup>7</sup> आंकड़े 27 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।

**चार्ट 13: ईएमई की तुलना में भारत की बकाया देयताओं की स्थिति (2017)**




**स्रोत :** आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर (अप्रैल 2019) और आरबीआई।

और यह तुलनात्मक रूप से लंबी परिपक्वता का भी है। सांकेतिक जीडीपी की वृद्धि दर भी केंद्रीय सरकार की देयताओं की वृद्धि से अधिक है जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र की बकाया देयताओं की कम होती प्रवृत्ति में योगदान दे रही है (चार्ट 14)।

केंद्र सरकार की जीडीपी की तुलना में देयता अनुपात वर्ष 2018-19 (संशोधित अनुमान) के 49.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 48.6 प्रतिशत और 2021-22 में 44.4 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 8)। यह नोट

**चार्ट 14: बकाया देयताओं और जीडीपी में वृद्धि**



**स्रोत :** आरबीआई।

## सारणी 8: बकाया देयताएं

जीडीपी में प्रतिशत

	केंद्र सरकार के कर्ज	जिनमें से ईबीआर*
2017-18	49.7	0.1
2018-19 (आरई)	49.4	0.5
2019-20 (बीई)	48.6	0.7
2020-21 पी	46.2	0.8
2021-22 पी	44.4	0.9


\*: लक्ष्य यह है कि ईबीआर स्टॉक में अभिवृद्धि को पांच वर्षों की अवधि में कम करते हुए शून्य करना है।

टिप्पणी : पी का मतलब अनुमानित है; ईबीआर का मतलब अतिरिक्त-बजटीय संसाधन है।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज; आरबीआई।

किया जाए कि राजकोषीय घाटे के अंकों से भिन्न, कर्ज अनुमान 2019-20 के लिए अंतरिम बजट में दिए गए अनुमान और वर्ष 2018-19 के बजट में मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। केंद्रीय बजट में एमटीएफपी में अतिरिक्त बजटीय देयताओं को स्पष्ट रूप से दिखाकर राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने की ओर मुख्य कदम उठाया गया है, अतिरिक्त बजटीय देयताएं वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 तक जीडीपी का 0.9 प्रतिशत होने की संभावना है। राजस्व प्राप्ति के अनुपात में ब्याज भुगतान (जो कर्ज चुकाने की क्षमता का सूचक है) जिसमें 2018-19 (पीए) में वृद्धि देखी गई, में वर्ष 2019-20 में थोड़ा सुधार होने का बजट अनुमान लगाया गया है (चार्ट 15)।


## चार्ट 15: केंद्र सरकार का कर्ज और उस पर ब्याज का बोझ



## VII. 2019-20 में केंद्र से राज्यों को संसाधन अंतरण

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र से राज्यों को सकल अंतरण वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में लगभग 30 आधार अंकों तक कम होने की संभावना है जो मुख्य रूप से करों के विभाज्य पूल के लिए अनुमानित धीमी वृद्धि के कारण हुआ (चार्ट 16 क और ख)।<sup>8</sup> विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित


## चार्ट 16: राज्यों को संसाधन अंतरण



टिप्पणी : विविध करों में संघ उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा कतिपय समायोजन शामिल हैं।

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज।

<sup>8</sup> यह नोट किया जाए कि केंद्रीय बजट में किए गए बजट अनुमानों में सकल अंतरणों (केंद्र से राज्य) और सभी राज्यों के राज्य बजट में अनुमानित अंतरण में बेमेलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बेमेलता पिछले तीन वर्षों में उत्पन्न हुई है जिसका कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण की रिपोर्टिंग और अन्य जीएसटी से संबंधित मुद्दों में अनिश्चितता हो सकती है।



योजनाओं तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष प्रयोजन अंतरण जो कुल अंतरण का एक-चौथाई है, पिछले वर्ष में दर्ज की गई 13 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 6.4 प्रतिशत तक कम हो सकता है (अनुलग्नक 2)।

XIV वित्त आयोग (XIV एफसी) के प्रभावी समय क्षितिज का अंतिम वर्ष 2019-20 का होना, 2019-20 में सकल अंतरण में धीमी वृद्धि का कारण हो सकता है। पिछले चार वित्त आयोगों (XIII एफसी को छोड़कर) में सकल अंतरणों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि से पता चलता है कि पांचवें वर्ष के अंत तक कुछ मंदी आ जाती है (चार्ट 17)।

### VIII. अंतिम निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2019-20 ने भौतिक मूलभूत सुविधाएं निर्मित करना, सामाजिक सेवाओं में सुधार, अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइस करना, एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और भारत को स्वस्थ, हरा तथा स्वच्छ करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के साथ केंद्रीय बजट में घोषित वित्तीय क्षेत्र सुधारों से अर्थव्यवस्था में समग्र ऋण संवृद्धि

को बढ़ावा मिल सकेगा। बजट में निवेश और मूलभूत सुविधाओं को सहायता देना एक स्वागत योग्य कदम है जिस से संवृद्धि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर विशेष ध्यान रखते हुए हाल ही में अगस्त 2019 में घोषित कतिपय उपायों से, कर लगाने संबंधी उपायों के साथ-साथ ऑटो और मूलभूत सुविधाएं अर्थव्यवस्था की संवृद्धि गति को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकती है (अनुबंध 3)। संवृद्धि के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले चुनौतीपूर्ण घरेलू और वैश्विक वातावरण के बावजूद सरकार ने 2019-20 में एफआरबीएम ग्लाइड पाथ के अनुसार राजकोषीय समेकन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

### संदर्भ:

Comptroller and Auditor General (2019). "Report of the Comptroller and Auditor General of India on Indirect Taxes – Goods and Services Tax for the year ended March 2018", Report No. 11 of 2019, July

Esteban, Ortiz-Ospina and Max Roser (2019). "Government Spending". *Published online at OurWorldInData.org*. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/government-spending'

Eyraud, L., and T. Wu. (2015), "Playing by the Rules: Reforming Fiscal Governance in Europe", *IMF Working Paper* 15/67, International Monetary Fund, Washington, DC

International Monetary Fund (IMF) (2018), "How to Calibrate Fiscal Rules A primer", Fiscal Affairs Department (FAD) How-To Notes, March

International Monetary Fund (IMF) (2019), *Fiscal Monitor*, April

Report of the Twelfth Finance Commission

Reserve Bank of India (2019). "Estimable Fiscal Multipliers for India", Box III.1, Chapter III – Demand and Output, *Monetary Policy Report*, April

Union Budget Documents, *various issues*

## अनुबंध 1

### केंद्रीय बजट 2019-20 : प्रमुख उपाय

#### भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित उपाय

1. गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर रिज़र्व बैंक की मजबूत नियामक शक्तियाँ ।
2. आवास वित्त क्षेत्र का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक से लेकर रिज़र्व बैंक को सौंपा गया है।
3. व्यापार बढ़ा दर (एमडीआर) का उन्मूलन : जनता द्वारा ऐसे डिजिटल भुगतानों को अपनाने से कम मात्रा में प्राप्त नकदी से जो उपचित बचत होगी उससे डिजिटल लेन-देन पर आरबीआई और बैंकों को प्रभार लेने होंगे।
4. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को भारतीय ईक्विटी के लिए निर्बाध पहुँच उपलब्ध कराने के लिए विदेशी निवेश संविभाग मार्ग को एनआरआई निवेश संविभाग योजना के साथ विलयन करना ।
5. खुदरा निवेशकों को सरकार द्वारा जारी खज़ाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश कराने के लिए आरबीआई जमाकर्ताओं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) जमाकर्ताओं की अंतर- परिचालयनीयता की आवश्यकता होगी। आरबीआई और जमाकर्ता खाताबहियों के बीच निर्बाध रूप से खज़ाना बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण लाने के लिए सरकार आरबीआई और सेबी के साथ विचार-विमर्श करके इस संबंध में आवश्यक उपाय करेगी।
6. वर्ष 2019-20 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनः पूंजीकरण बांड को जारी कर के पूंजी लगाने के लिए ₹70,000 करोड़ का प्रावधान करना ।
7. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में कॉर्पोरेट त्रिपक्षीय रिपो बाज़ार को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार, विनियामकों आरबीआई/सेबी के साथ कार्य करेगा ताकि विभिन्न शेयर बाज़ार एए रेटेड बाँड़ों को संपार्श्विक के रूप उपयोग करने हेतु अनुमति दे सके।
8. मूलभूत सुविधा वित्तपोषण हेतु पूंजी के स्रोत में वृद्धि लाने के लिए कतिपय उपाय प्रस्तावित हैं। अन्य उपायों के अतिरिक्त, एक ऋण गारंटी वर्धन निगम (सीजीईसी),

जिसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन अधिसूचित किए गए हैं, वर्ष 2019-20 में स्थापित किया जाएगा।

#### ग्रामीण अर्थव्यवस्था

1. नवनिर्मित जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ कार्य करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति की गई है।
2. किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट ने नवीन किसान उत्पाद संघ (एफपीओ) निर्मित करने, अधिक से अधिक किसानों को ई-नाम (ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार- ऑनलाइन कृषि व्यापार मंच) के लाभों का विस्तार तथा शून्य बजट खेती की आवश्यकता को पहचाना है।
3. एक केंद्रित योजना लॉच करें – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना(पीएमएमएसवाई)- एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना।

#### उद्योग

1. पुराने और अक्षम प्लांटों की निवृत्ति तथा नैचुरल गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के कम उपयोग पर उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफ़ारिशों पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।
2. ट्रेक का विकास और समापन ,रोलिंग स्टॉक विनिर्माण तथा यात्री भाड़ा सेवाएं प्रदान करना जैसी रेल मूलभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु सरकारी-निजी भागीदारी ।
3. जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना : वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 350 करोड़ आबंटित।
4. एमएसएमई के आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को सरकारी भुगतानों में विलंब पर ध्यान देने हेतु एमएसएमई संबंधी बिल फाइलिंग के लिए एक भुगतान मंच निर्मित करना।

#### बाह्य क्षेत्र

1. एफडीआई के उदारीकरण हेतु उपाय : बीमा बिचौलियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना; इसके अलावा विमानन, मीडिया, एनीमेशन

और बीमा में सभी हितधारकों के परामर्श से एफडीआई खोलना ; तथा एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई के लिए स्थानीय स्रोत मानदंडों को आसान बनाना ।

2. "भारत में शिक्षण" योजना प्रारंभ करना ।
3. विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षाओं में कमी ।
4. सरकार को बाह्य बाजारों में बाह्य मुद्राओं में अपने सकल उधार कार्यक्रम के एक भाग को बढ़ाना होगा ।

### वित्तीय बाजार

1. सार्वजनिक शेयरधारिता की 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को 35 प्रतिशत तक बढ़ाना ।
2. कुल ₹ 1 लाख करोड़ राशि की एनबीएफसी के उच्च श्रेणी परिसंपत्तियों को खरीदने हेतु अल्पावधि आंशिक ऋण गारंटी मुहैया कराने का प्रस्ताव देकर एनबीएफसी क्षेत्र में चलनिधि संकट को कम करना ।
3. विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) और एनआरआई को स्थावर संपदा निवेश न्यासों(आरईआईटी) तथा मूलभूत निवेश न्यासों(आईएनवीआईटी) के सूचीबद्ध ऋण कागजातों को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना ।
4. विकल्पों के प्रयोग के मामले में निपटान और नियत भाव के बीच अंतर पर प्रतिभूति लेन- देन कर(एसटीटी) लगाने पर प्रतिबंध लगाना ।

5. सेबी की विनियामक परिधि के अंतर्गत सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों – एक सामाजिक शेयर बाजार- को सूचीबद्ध करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक निधि-निर्माण मंच निर्मित करना ।

### कर संबंधी उपाय

1. व्यक्तियों के लिए:
  - ए. इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए लिया गया ऋण तथा मकान खरीदने के लिए लिया गया ऋण (₹45 लाख तक के मूल्य वाले) पर प्रदत्त ब्याज पर ₹1.5 लाख का अतिरिक्त आय कर की कटौती के साथ ₹ 5 लाख तक की आय के लिए कर की छूट ।
  - बी. ऐसे व्यक्ति जिनकी कर- योग्य आय ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ और ₹5 करोड़ और उस से अधिक हो पर अधिभार बढ़ाना ताकि इन दो वर्गों के लिए प्रभावी कर दरें क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत तक बढ़ेंगी ।
  - सी. किसी व्यक्ति द्वारा उनके बैंक खाते से एक वर्ष में ₹ 1 करोड़ से अधिक नकद आहरण पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर काटा गया कर ।
  - डी. पैन धारित न करने वाले व्यक्तियों को केवल अपने आधार संख्या देकर आय कर विवरणी फाइल करने की अनुमति देना ।
2. कॉर्पोरेट के लिए: ₹400 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत का निम्न कर दर उपलब्ध करना जो कि कंपनियों का 99.3 प्रतिशत कवर करेगा ।

**अनुबंध II**  
**2019-20 में केंद्र से राज्यों को संसाधनों का अंतरण**

	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)	2017-18	2018-19 (आरई)	2019-20 (बीई)
	₹ हजार करोड़			सकल अंतरणों में हिस्सेदारी			वृद्धि दर		
I. करों में राज्यों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण	673	761	809	62.0	61.1	60.9	10.7	13.1	6.3
II. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें	37	56	55	3.4	4.5	4.1	-22.5	49.2	-1.8
क. बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ - ऋण	18	24	20	1.6	1.9	1.5	-1.5	36.0	-17.1
ख. विशेष सहायता	7	14	15	0.6	1.1	1.1	-36.2	94.2	11.1
III. वित्त आयोग अनुदान	92	106	120	8.5	8.5	9.1	-3.5	15.1	13.5
क. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	34	43	53	3.2	3.4	4.0	9.8	24.3	22.8
ख. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	13	19	23	1.2	1.5	1.8	-13.1	49.9	23.7
ग. उत्तर न्यायगमन राजस्व घाटा अनुदान	36	35	34	3.3	2.8	2.6	-13.3	-3.5	-1.1
IV. राज्यों को कुल अंतरण (II) + (III) के अलावा)	279	315	335	25.7	25.3	25.2	21.8	13.0	6.4
क. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत (राजस्व)	262	277	292	24.1	22.3	22.0	16.0	5.9	5.3
ख. केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत	16	37	42	1.5	2.9	3.2	562.4	129.5	14.8
V. दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कुल अंतरण	4	8	10	0.4	0.7	0.8	-25.0	116.9	20.7
VI. राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सकल अंतरण	1085	1247	1329	100.0	100.0	100.0	10.1	14.9	6.6
VII. ऋण और अग्रिम की कम वसूली	13	9	10	-	-	-	4.3	-28.8	4.2
VIII. शुद्ध अंतरण (VI-VII)	1072	1237	1320	-	-	-	10.2	15.4	6.7
IX. सकल अंतरण / सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.3	6.6	6.3	-	-	-	-	-	-
X. शुद्ध अंतरण / सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.3	6.5	6.3	-	-	-	-	-	-

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज़

### अनुबंध III

#### अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट के बाद के उपायों की घोषणा

##### कराधान संबंधी उपाय

- वर्ष 2019-20 के बजट में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से होने वाले लंबे/अल्पावधि पूंजीगत अधिलाभ पर बढ़े हुए अधिभार को वापस ले लिया गया है।
- पहले से भरे गए आईटी रिटर्न और फेसलेस संवीक्षा को विजया दशमी, 2019 से शुरू किया जाना है। आयकर अधिकारियों द्वारा सभी नोटिस, सम्मन, आदेश आदि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे और इस तरह के सभी नोटिसों का निपटारा जवाब की तारीख से पहले तीन महीने के भीतर किया जाएगा।
- एमएसएमई के कारण सभी लंबित जीएसटी वापसियों का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना है। इसके अलावा, भविष्य में, सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) संवर्धन विभाग में पंजीकृत स्टार्ट-अप पर एंजेल कर प्रावधान लागू नहीं होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य के तहत स्टार्ट-अप की कराधान समस्याओं को दूर करने के लिए एक समर्पित कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।

##### बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उपाय

- 100 लाख करोड़ रुपये की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उनकी निगरानी करने हेतु 5 साल से अधिक की अवधि के लिए एक अंतर-मंत्रालय कार्य-दल का गठन किया गया है।
- ऐसे मामलों के निर्णय को जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने ठेकेदारों/रियायतों, सरकारी एजेंसियों के पक्ष में आदेश पारित किए हैं, न्यायालयों में चुनौती देने से पहले कुल भुगतान का 75 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य किया गया है।

##### वित्तीय क्षेत्र के सुधार

- सरकार, घरेलू शेयर बाजारों में अपतटीय रुपया बाजार को लाने तथा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेन्स टेक-सिटी (जीआईएफटी) आईएफएससी में यूएसडी- आईएनआर के

व्यापार को अनुमति देने संबंधी उपायों को आरंभ करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ कार्य कर रही है।

- सरकार, रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इसे निवेशकों और बॉन्ड जारीकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु काम करेगी, साथ ही मूल्य अन्वेषण के लिए बढ़े हुए व्यापार को सुविधा प्रदान करेगी।
- आरबीआई और सेबी के परामर्श से, सरकार जल्द ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजारों के विकास हेतु आगे की कार्रवाई करेगी।
- सेबी द्वारा जल्द ही निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014 को चालू किया जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (ADR) / ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (GDR) के माध्यम से विदेशी निधियों तक पहुंच बढ़ेगी।
- चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रु. 70,000 करोड़ की अग्रिम पूंजी डालना। उधार देने के लिए इससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग रु. 5 लाख करोड़ की चलनिधि उपलब्ध होगी।
- बैंकों द्वारा उचित निर्णय लेने की रक्षा करने और वास्तविक वाणिज्यिक निर्णय लेने पर उत्पीड़न को रोकने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने यह निर्देश जारी किए हैं कि आंतरिक परामर्श समिति (आईएसी) मामलों को सतर्कता और गैर-सतर्कता के रूप में वर्गीकृत करेगी।
- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया डिबेंचर के डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (DRR) के निर्माण की आवश्यकता, एनबीएफसी और एचएफसी के साथ दूर की गई है।
- नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को रु.20,000 करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि सहायता।
- एनबीएफसी के अंतिम मील ग्राहक संपर्क का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यापारियों को एनबीएफसी के साथ सह-उत्पत्ति ढंग से ऋण के लिए दिए गए सहयोग को तेजी से ट्रैक करेंगे।

- ब्याज दरों को रेपो दर से सीधे जोड़कर आवास ऋण, वाहन और अन्य खुदरा ऋण पर कम की गई समान मासिक किस्त(ईएमआई)।
- एफपीआई सहित विदेशी निवेशकों के लिए बाजार पहुंच तक को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाना।
- एक दिन में एक कंपनी को शामिल करने के लिए; विलय और अधिग्रहण के लिए तेज और आसान अनुमोदन; कंपनी अधिनियम के तहत 14,000 से अधिक अभियोगों की वापसी; कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के उल्लंघन को एक नागरिक दायित्व के रूप में माना जाएगा न कि एक आपराधिक कृत्य के रूप में।

### ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय

- पुराने वाहनों को बदलते हुए नए खरीदने के लिए सरकारी विभागों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- मार्च 2020 से अब तक अधिग्रहित वाहनों पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत मूल्यहास।
- सरकार पुराने वाहनों के लिए परिमार्जन नीति पर भी विचार कर रही है, जिससे नए वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- 31 मार्च, 2020 तक खरीदे गए बीएस IV वाहन का पंजीकरण संपूर्ण अवधि के लिए चालू रहेगा।